FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

पूनमाराम वगैरा बनाम पूनमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR नं. 393/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत पूनड ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/03/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
10/03/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 28/04/2021 को पेश हो।	
28/04/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 21/06/2021 को पेश हो।	
21/06/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 03/08/2021 को पेश हो।	
03/08/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 16/11/2021 को पेश हो।	

16/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपार्थीगण। नोटिस तामील होकर तामील मियाद / [illegible] पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 21/02/2022 को पेश होवे।

21/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपार्थीगण बावजूद तामील मुआफिक / न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा विपार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक-28/03/2022 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	**हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज**	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28/03/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एव विप्रार्थीगणो के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 307

दिनांकः– 28/03/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. पुनमाराम पुत्र देवाराम वगैरा 9,
जाति जाट, निवासी माडपुरा पुरानागांव,
पटवार मण्डल नौसर,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. पुनमाराम पुत्र विरधाराम वगैरा 46,
जाति जाट, निवासी चुतरोणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 393 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – माडपुरा पुराना गांव, पटवार हल्का – माडपुरा बरवाला, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 299, 419 / 299 रकबा क्रमशः 9.6352, 0.0971 हेक्टयर व मौजा – चुतराणियों की ढाणी, पटवार हल्का –माडपुरा बरवाला, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत ख. नं. 453, 454, 617 / 454 रकबा क्रमशः 0.0809, 10.1044, 0.0162 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 308 to 312

दिनांकः– 28/03/2022

प्रतिलिपिः–निम्न **को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पुनमाराम पुत्र देवाराम वगैरा 9,
4. विप्रार्थी श्री पुनमाराम पुत्र विरधाराम वगैरा 46,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO) बायतु